

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME, GREETING:

WHEREAS the Agreement between the Government of India and the Government of the United Republic of Tanzania Relating to Air Services was signed at Dar es Salaam on the twenty-ninth day of September in the year one thousand nine hundred and eighty-two by the Representative of the Government of the Republic of India duly authorised for that purpose, which Agreement is reproduced word for word in the Annexure to this document;

AND WHEREAS it is fit and expedient to confirm and ratify the aforesaid Agreement;

NOW, THEREFORE, BE IT KNOWN that the Government of the Republic of India, having seen and considered the said Agreement, do hereby confirm and ratify the same.

....2/-

IN TESTIMONY WHEREOF I, ZAIL SINGH, PRESIDENT

OF INDIA have signed these Presents and affixed

hereunto my Seal at New Delhi this the ninteenth day


of Phalguna of the Saka year one thousand nine hundred

and five corresponding to the ninth day of March of

the year one thousand nine hundred and eighty-four A.D.,

in the Thirty-fifth year of the Republic of India.

PRESIDENT OF INDIA



#### AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA RELATING TO AIR SERVICES

The Government of India and the Government of the United Republic of Tanzania, hereinafter described as the "Contracting Parties",

BEING parties to the Convention on International Civil Aviation (hereinafter referred to as the "Convention") opened for signature at Chicago on the 7th December, 1944,

AND DESIRING to conclude an Agreement for the purpose of establishing air services between and beyond their respective territories.

HAVE AGREED as follows :-

### ARTICLE I

For the purpose of the present Agreement, unless the context otherwise requires :-

shall mean, in the case of India, the Director General of Civil Aviation and in the case of the Government of the United Republic of Tanzania the Minister for the time being responsible for matters relating to civil aviation, or in both cases, any person or body authorised to perform the functions presently exercised by the

said Director General or by the said Minister.

- (b) the term "designated airline" shall
  mean an airline which the aeronautical
  authorities of one Contracting Party
  have designated in writing to the
  aeronautical authorities of the other
  Contracting Party, in accordance with
  Article III of this Agreement.
- (c) the terms "territory", "air services",

  "International air service" and "stop
  for non-traffic purposes" have the
  meanings respectively assigned to them
  in Articles 2 and 96 of the Convention.

## ARTICLE II

Each Contracting Party grants to the other Party
the rights specified in the present Agreement for the
purpose of establishing air services on the route specified
in the Annex thereto (hereinafter called "the agreed services" and "the specified routes"). The agreed services may
be inaugurated at any time after the provisions of Article III
have been complied with.

- 2. Subject to the provisions of the present Agreement, the airline designated by each Contracting Party shall enjoy the following rights:-
  - (a) to fly without landing across the

/:

territory of the other Contracting Party;

- (b) to make stops in the territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes; and
- specified route, to make stops in the territory of the other Contracting

  Party at the point specified for that route in the Annex to the present Agreement, for the purpose of embarking or disembarking traffic in passengers, cargo or mail.
- 3. Nothing in paragraph 2 of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the privilege of taking on, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mail destined for another point in the territory of that other Contracting Party.
- The laws, regulations and instructions of one Contracting Party, relating to entry into or departure from its territory, of aircraft or air services operated in international air navigation or to the operation of such aircraft or air services while within its territory shall apply to aircraft and agreed services of the designated airline of the other Contracting Party.

## ARTICLE III

Each Contracting Party shall have the right to

. . . . . /4

designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services in accordance with the Route Schedule specified in the Annex to this Agreement.

- 2. On receipt of the designation, the Contracting
  Party, shall, through its own aeronautical authorities and
  subject to the provisions of paragraphs 3 and 4 of this Article,
  without delay grant to the designated airline the appropriate
  operating authorisation.
- The aeronautical authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally applied by them to the operation of air carriers and of international commercial air services.
- Each Contracting Party shall have the right to refuse, to accept the designation of the airline or to withhold the grant to the airline of the rights specified in paragraph 2 of Article II of the present Agreement or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the airline of those rights in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the other Contracting Party or its nationals. For the purpose of this paragraph, the express "substantial ownership and effective control" means that in any case where the designated airline operates its services under the Agreement by entering into any agreement with the airline of any other country or the Government or nationals of any other country, the Contracting Party designating the airline or its nationals shall not be deemed to have substantial ownership and effective

Control of the designated airline, unless the Contracting

Party or its nationals, in addition to the ownership of the

major part of the assets of the designated airline, have also

- i) effective control in the management of the designated airline; and
- ii) ownership and effective control of the major part of the total fleet of aircraft and equipment used in the operation of the services.

5. The airline so designated and authorised may begin to operate the agreed services at any time provided that the provisions of Article VII & IX have been complied with.

### ARTICLE IV

Each Contracting Party reserves the right to revoke the operating authorisation or impose such appropriate conditions as it may deem necessary in case of failure by a designated airline of the other party to comply with the laws and regulations of the former party, or in case, in the judgment of the former party, there is a failure to fulfil the conditions under which the rights are granted in accordance with the present Agreement. This shall also apply if the provisions of paragraph 4 of Article III are not complied with. Such action shall be taken only after consultation between the Contracting Parties in accordance with Article XI of the present Agreement unless an immediate suspension of operations or imposition of conditions is necessary to avoid further infringment of laws.

..../6

regulations or provisions of the present Agreement.

## ARTICLE V

- Aircraft operated on international services by the designated airline of either Contracting Party, as well as their regular equipment, supply of fuels and lubricants, and aircraft stores (including food, beverages and tobacco) on board such aircraft shall be exempt from all customs duties, inspection fees and other similar charges on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided such equipment and supplies remain on board the aircraft up to such time as they are re-exported or are used on the part of the journey performed over that territory.
- 2. There shall also be exempt from the same duties, fees and charges, with the exception of charges corresponding to the services performed:
  - a) aircraft stores taken on board in the territory of a Contracting Party, within limits fixed by the authorities of the said Contracting Party, and for use on board outbound aircraft engaged in an international service of the other Contracting Party;
  - b) spare parts introduced into the territory of either Contracting Party for the
    maintenance or repair of aircraft used on
    international services by the designated

•••/

airline of the other Contracting Party;

- c) fuel and lubricants destined to supply outbound aircraft operated on international services by the designated airline of the other Contracting Party.

  even when these supplies are to be used on the part of the journey performed over the territory of the Contracting Party in which they are taken on board.

  Materials referred to in sub-paragraphs (a), (b) and (c) above may be required to be kept under Customs supervision or control.
- The regular airborne equipment, as well as the materials and supplies retained on board the aircraft of either Contracting Party may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the Customs authorities of that territory. In such cases, they may be placed under the supervision of the said authorities up to such time as they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with Customs regulations.

### ARTICLE VI

The designated airline of each Contracting Party shall, in all respects, enjoy fair and equal opportunity for the carriage of international traffic between the territories of the two parties.

- 2. In the operation by the designated airline of either Contracting Party of the agreed air services, the interest of the designated airline of the other Party shall be taken into consideration so as not to affect unduly the services which the latter provides on the same route.
- The capacity to be provided, the frequency of services to be operated and the nature of air service, that is, transiting through or terminating in the territory of the other Contracting Party shall be agreed in accordance with the principles laid down in this Article.
- 4. Any increase in the capacity to be provided and/or frequency of services to be operated by the designated airline of either Contracting Party shall be on the basis of the estimated requirements of traffic between the territories of the Contracting Parties and any other traffic to be jointly agreed and determined. Pending such agreement or settlement, the capacity and frequency entitlements already in force shall prevail.
- 5. If the designated airlines of the Contracting Parties fail to agree on any matter the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall endeavour toreach agreement thereon.
- 6. The capacity to be provided and the frequency of services to be operated as agreed in terms of paragraphs 3 and 4 of this Article shall be specified in an exchange of letters.

### ARTICLE VII

Each Contracting Party shall cause its designated

..../9

airline to communicate to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, as long in advance as practicable, prior to the inauguration of the agreed services, the type of service, the type of aircraft to be used, the flight schedules, tariff schedules, and all other relevant information concerning the operation of the agreed services including such information as may be required to satisfy the aeronautical authorities that the requirements of this Agreement are being duly observed.

The requirements of this Article shall like-wise apply to any changes concerning the agreed services.

## ARTICLE VIII

Party shall cause its designated airline to furnish to the aeronautical authorities of the other Contracting Party statistics relating to the traffic carried during each month on its air services to or from the territory of the other Contracting Party showing the countries of origin and destination and the points of embarkation and disembarkation of such traffic. Such statistics shall be furnished as early as possible.

## ARTICLE IX

For the purpose of the following paragraphs, the term "tariff" means the prices to be paid for the carriage of passengers and cargo and the conditions under which these prices

..../10

apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services, but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.

- 2. The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines.
- 3. The tariffs referred to in paragraph (2) of this Article shall, if possible, be agreed by the designated airlines concerned for both Contracting Parties, after consultation with the other airlines operating over the whole or part of the route, and such agreement shall, wherever possible, be reached by the use of the procedures of the International Air Transport Association for the working out of tariffs.
- 4. The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties at least sixty (60) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.
- 5. This approval may be given expressly. If neither of the aeronautical authorities has expressed disapproval within thirty (30) days from the date of submission, in accordance with paragraph (4) of this Article, these tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph (4), the aeronautical authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.

.../11

- 6. If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph (3) of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph (5) of this Article, one aeronautical authority gives the other aeronautical authority notice of its disapproval of a tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph (3), the aeronautical authorities of the two Contracting Parties shall endeavour to determine the tariff by mutual agreement.
- 7. If the aeronautical authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph (4) of this Article, or on the determination of any tariff under paragraph (6) of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article XII of this Agreement.
- 8. A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established. Nevertheless, a tariff shall not be prolonged by virtue of this paragraph for more than twelve (12) months after the date on which it otherwise would have expired.

## ARTICLE X

Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party the right to remit to its head office, the excess over expenditure of receipts earned in the territory of the first Contracting Party. Such remittances, however, shall be made in accordance with the foreign exchange regulations of the Contracting Party in the territory of which the revenue accrued. Such transfers shall be effected

on the basis of official exchange rates for current payment, or where there are no official exchange rates, at the prevailing foreign exchange market rates for current payment.

2. In case special arrangements governing the settlement of payments are in force between the two Contracting
Parties, the provisions of such arrangements shall be applied
to the transfer of funds under paragraph 1 of this Article.

## ARTICLE XI

In a spirit of close collaboration, the aeronautical authorities of the two Contracting Parties shall exchange views regularly on the application and interpretation of the present Agreement.

Consultations may be requested at any time by either Contracting Party for the purpose of initiating any amendments to this Agreement. Consultations may also be required on matters concerning the interpretation and application of this Agreement if either Contracting Party considers that an exchange of views within the meaning of paragraph 1 above, has been without success. Such consultations shall begin within a period of sixty days from the date of therequest. Any modification of this Agreement as a result of such consultations shall come into effect after the respective constitutional requirements have been fulfilled and when it has been confirmed by an exchange of letters.

..../13

### ARTICLE XII

If any dispute arises relating to the interpretation or application of this Agreement, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall endeavour to settle it by negotiations between themselves, failing which the dispute shall be referred to the Contracting Parties for settlement.

### ARTICLE XIII

To the extent to which they are applicable to the air services established under this Agreement, the provisions of the Convention shall remain in force in their present form between the Contracting Parties for the duration of the Agreement, as if they were an integral part of the Agreement, unless both Contracting Parties ratify any amendment to the Convention, which shall have duly come into force in which case the Convention as amended shall remain in force for the duration of this Agreement.

- Pending adherence by the Government of the United Republic of Tanzania to the International Air Services Transit Agreement opened for signature at Chicago on the 7th December 1944, the provisions thereof shall apply as between the Contracting Parties as if the Government of the United Republic of Tanzania has adhered to the International Air Services Transit Agrêement.
- 3. This Agreement shall be amended so as to be in accordance with any multilateral convention which may become

binding on both Contracting Parties.

4. This Agreement and its later modifications shall be registered with the International Civil Aviation Organisation.

## ARTICLE XIV

The Annex attached to this Agreement shall be deemed to be part of the Agreement and all references to the Agreement shall include reference to the Annex, except where otherwise expressly provided.

- 2. This Agreement shall be subject to ratification and instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.
- 3. This Agreement shall come into force on the date of the exchange of instruments of ratification.

## ARTICLE XV

Either Contracting Party may at any time, give written notice to the other, of its desire to terminate this Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. If such notice is given, this Agreement shall terminate twelve months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen days after the receipt of the notice by

the International Civil Aviation Organisation.

1982

DONE at Dar es Salaam this Twenty-minth day of September, in Four originals, two each in the English and Hindi languages, all the texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

sd/-

( P.M.S. Malik )
High Commissioner of
India in Tanzania

For the Government of India

sd/-

( John S. Malecela )
M.P., Minister for
Communications and
Transport

For the Government of the United Republic of Tanzania

## ANNEX

## Section-I

The airline designated by the Government of India shall be entitled to operate air services in both directions on the route specified in this Section and to land for traffic purposes in the territory of the United Republic of Tanzania at the point herein specified.

Points of origin	Intermediate Points	1 1	Point in Tanzania	Points Beyond
Points in India	Nil	1	Dar es Salaam	Nil

## Section-II

The airline designated by the Government of the United Republic of Tanzania shall be entitled to operate air services in both directions on the route specified in this Section and to land for traffic purposes in the territory of India at the point herein specified.

Points of origin	Intermediate	Point in <u>India</u>	Points Beyond
Points in	Nil	Bombay	Nil



जिनके समझ यह प्रतेख पहुँचे, उन सवकी
भारत के राष्ट्रकति
जैन सिंह
का
अभियादन

अबिक भारत गणराज्य की सरकार और तन्जा निया संयुक्त भणराज्य की सरकार के बीच वाय सेवा से सम्बद्ध करार पर वर्ष एक हजार नी सी बयासी के सितंबर मास के उनतीस दें दिन, वार-ए-सलाम में, भारत गणराज्य की सरकार के प्रतिनिधि ने, जिसे इस उददेश्य के लिए यथो चित रूप से प्राधिकृत किया गया था, हस्ताबर किए थे और जिस करार को इस प्रतेख के संतग्नक में शब्दशः उद्धृत किया गया है;

और जबकि उक्त करार की पुष्टि एवं अनुसमर्थन करना ठीक और उचित है,

अतः अब ज्ञात हो कि मारत गणराज्य की सरकार उपत करार को देखने और इस पर विचार करने के बाद इसकी पुष्टि एवं अनुसमर्थन करती है।

जिसके साह्य में में, ज़ैल सिंह, भारत का राष्ट्रपति, बई दिल्ली

में, भारत गणराज्य के पैतीसवें वर्ष में शक संवद एक हजार जो सो पांच के फालगुज मास के उन्नीसवें दिन तद्बुसार ईसवी सब एक हजार जो सो चौरासी के मार्च मास के नवें दिन इन प्रतेखों पर हस्ताधर करता हूं और अपनी मोहर नगाता हूं।

मारत का राष्ट्रपति



# भारत सरकार तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य की सरकार के बीच विमान सेवाओं के संबंध में करार

भारत सरकार तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य की सरकार, जिन्हें आगे "संविदाकारी पक्ष" कहा गया है,

जो 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किए गए अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय है जिसे आगे "अभिसमय" कहा गया है है की हस्ताक्षरकर्ता है,

अपने-अपने भू-भाग के बीच और उनसे परे विमान सेवाएं परिचालित करने के प्रयोजन के लिए एक क्रार करने की इच्छा से.

नी वे लिखी बातों पर सहमत हुई हैं;

# अनुच्छेद ।

जब तक प्रसंग से कोई अन्य अर्थ अभीष्ट न हो, प्रस्तुत करार के प्रयोजन

## के लिए:

- कि वैमानिक प्राधिकारी शब्दों का आशय भारत के संबंध में नागर विमानन का महानिदेशक होगा और तंजानिया संयुक्त गणराज्य के संबंध में फिलहाल नागर विमानन से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी मंत्री होगा अथवा दोनों ही के मामले में कोई ऐसा व्यक्ति या निकाय भी होगा जिसे उन कार्यों को करने के लिए प्राधिक्त किया गया हो जिन्हें इस समय उक्त महानिदेशक दारा अथवा उक्त मंत्री दारा किया जाता है :
- १४१ "नामित विमान कम्पनी" पद से आशय एक ऐसी विमान कम्पनी
  से है जिसे एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों ने
  प्रस्तुत क्रार के अनु च्छेद 3 के अनुसार दूसरे संविदाकारी पक्ष के
  वैमानिक प्राधिकारियों को लिखित सूचना देकर नामित किया है;

हुँगहुँ "भू-भाग", "विमान सेवाएं", "अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवा", तथा
"यातायात से भिन्न प्रयोजनों के लिए स्कना" पदों से आशय वही
है जो अभिसमय के अनुच्छेद 2 और 96 में उनके लिए निश्चित किया
गया है।

# अनु च्छेद 2

- गृत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को प्रस्तुत करार के अनुबन्ध में निर्दिष्ट मार्गों पर विमान सेवाएं १ जिन्हें आगे "सम्मत सेवाएं" और निर्दिष्ट मार्ग" कहा गया है १ स्थापित करने के लिए इस करार में निर्दिष्ट अधिकार देता है। अनुच्छेद 3 के उपबन्धों का अनुपालन हो जाने के बाद किसी भी समय समत सेवाओं का उद्धाटन किया जा सकता है।
- 2. प्रस्तुत करार के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दारा नामित विमान कम्पनी को निम्निलिखित अधिकार प्राप्त होंगे;
  - श्रुक श्रुव बग़ेर उत्तरे हुए, दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग से होकर उड़ान करना :
  - १७१ यातायात से भिन्न प्रयोजनों के लिए, दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में स्कना :
  - शृग िनिर्दिष्ट मार्ग पर सम्मत सेवा का परिचालन करते समय दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में उन स्थानों पर जो प्रस्तुत करार के अनुबन्ध में उस मार्ग के लिए निर्दिष्ट कर दिये गये हों, यात्रियों, माल और डाक के ऐसे अन्तरराष्ट्रीय यातायात को उतारने या चढाने के प्रयोजन से स्कना जिसका उदगम अथवा गन्त व्य स्थान पहले संविदाकारी पक्ष का अथवा किसी इतर देश का भू-भाग हो।
- 3. इस अनुन्छेद के पैरा 2 के किसी अंश का अर्थ किसी एक संविदाकारी पक्ष की विमान कम्पनी को यह अधिकार दिया जाना नहीं समझा जायेगा कि वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में यात्रियों, माल या डाक के ऐसे यातायात को भी वदा सकेगा जिसका गन्तव्य दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में ही कोई अन्य स्थान हो।

पक संविदाकारी पक्ष के वे नियम, विनियम और प्रक्रियाएं जो वन्तरराष्ट्रीय विमानवालन में रत वायुयानों अथवा विमान-सेवाओं के उसके भू-भाग में प्रवेश करने, अथवा वहां से प्रस्थान करने पर, अथवा उसके भू-भाग में होने के दौरान उन वायुयानों अथवा विमान सेवाओं के परिचालन पर लागू होते हैं, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी के वायुयानों और सम्मत विमान सेवाओं पर भी लागू होंगे।

# अनु चेद 3

- प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह इस करार के अनुबन्ध में विनिर्दिष्ट मार्ग अनुसूची के अनुसार सम्मत सेवाओं के परिचालन के प्रयोजन के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष को लिखित रूप से एक विमान कम्पनी नामित करें।
- 2. नामन की सूचना मिलने पर संविदाकारी पक्ष अपने वैमानिक प्राधिकारियों के द्वारा इस अनुच्छेद के पैरा 3 और 4 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नामित विमान कम्पनी को अविलम्ब उपयुक्त परिचालन अधिकार दे देगा ।
- 3. एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कम्पनी से इस बात का आश्वासन मांग सकते हैं कि वह उनके द्वारा विमान कम्पनियों तथा अन्तरराष्ट्रीय वाणि ज्यिक विमान सेवाओं के परिचालन पर सामान्य रूप से लागू किये जाने वाले कानूनों और विनियमों के अंतर्गत निहित शर्तों का पालन करने के लिए सक्षम है।
- 4. यदि कोई संविदाकारी पक्ष इस बात से सन्तुष्ट न हो कि नामित
  विमान कम्पनी का वास्तिवक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण काफी हद तक दूसरे
  संविदाकारी पक्ष अथवा उसके राष्ट्रिकों में निहित है तो उसको यह अधिकार होगा
  कि वह ऐसी विमान कम्पनी के नामन को स्वीकार करने से इन्कार कर दे या प्रस्तुत
  क्रार के अनुच्छेद 2 के पैरा 2 में निर्दिष्ट उन अधिकारों की मंजूरी को रोक या
  प्रतिसंहत कर दे अथवा उन अधिकारों के प्रयोग के संबंध में विमान कम्पनी पर ऐसी
  शर्ते लगाए जिन्हें वह आवश्यक समझे । इस पैरा के प्रयोजन के लिए वास्तिवक स्वामित्व
  तथा प्रभावी नियंत्रण इस पदावित का अर्थ है कि किसी भी मामले में जहां नामित
  विमान कम्पनी इस क्रार के अन्तर्गत किसी अन्य देश की विमान कम्पनी अथवा

किसी अन्य देश की सरकार या राष्ट्रिकों के साथ कोई क्रार करके अपनी सेवाएं परिवालित करता है, विमान कम्पनियों को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष अथवा इसके राष्ट्रिकों का नामित विमान कम्पनियों पर वास्तिवक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण तब तक नहीं समझा जायेगा जब तक कि संविदाकारी पक्ष अथवा इसके राष्ट्रिकों का, नामित विमान कम्पनी की परिसम्पत्तियों के एक बड़े भाग पर स्वामित्व होने के अतिरिक्त:

१। १ नामित विमान कम्पनियों के प्रबंध में प्रभावी नियंत्रण, और

ί,

- \$2 है सेवाओं के परिवालन में प्रयोग होने वाले विमान बेड़े एवं उपस्कर के बड़े भाग पर भी स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण न हो।
- इस प्रकार नामित और प्राधिकृत की गई विमान कम्पनी सम्मत सेवाओं का परिचालन किसी भी समय आरम्भ कर सकती है बशर्ते कि अनु छैद 7 और 9 के उपलन्धी का पालन किया जा चुका हो।

# अनु चेद 4

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने पास यह अधिकार प्रारक्षित रखता है कि यदि दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कम्पनी ने पहले संविदाकारी पक्ष के कानूनों और विनियमों का पालन न किया हो अध्वा पहले संविदाकारी पक्ष की समझ में उन शतों को पूरा नहीं किया गया हो जिन्के अधीन प्रस्तुत क्ररार के अनुसार अधिकार दिए गए हैं तो वह परिचालन अधिकार को प्रतिसंहत कर सकेगा या उस पर ऐसी उचित शर्तें लगा सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे। यदि अनुच्छेद 3 के पैरा के उपजन्थों का पालन न किया गया हो तब भी ऐसा ही किया जायेगा। जब तक कि नियमों अथवा प्रस्तुत क्ररार के उपजन्थों के इससे और आगे वित्तिष्ठन को रोकने की दृष्टि से शतों का तुरन्त निलम्बन या लगाया जाना आवश्यक समझा जाए तब तक इस प्रकार की कार्यवाही प्रस्तुत क्ररार के अनुच्छेद ।। के अनुसार स्विदाकारी पक्षों के बीच परस्पर सलाह मश्यविरा करते ही की जाएगी।

# अनु च्छेद 5

- ा दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी द्वारा अन्तरराष्ट्रीय सेवाओं पर परिवालित वायुयान एवं ऐसे वायुयानों में रखे हुए उनके नियमित उपस्कर, इंधन, व स्नेहकों के भण्डार तथा विमान सामग्री है जिसमें खाद्य सामग्री, पेय पदार्थ तथा तम्बाकू सिम्मिलित होंगे हैं दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में पहुचने पर सीमा-शुल्क, निरीक्षण फीस तथा अन्य प्रभारों अथवा करों से मुक्त होंगे, बशर्ते कि ऐसे उपस्कर तथा सामग्री पुनर्निर्यात किए जाने तक विमान पर ही रहें अथवा उनका प्रयोग यात्रा के उस भाग पर किया जाना हो जो उस भू-भाग के उसर से होकर किया जाये।
- 2. निम्नलिखित वस्तुएं भी, की गयी सेवा के अनुरूप प्रभारों के सिवाय उक्त शुक्लों, फीसों तथा करों से मुक्त होंगी :
  - श्रेक श्रे दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के भू-भा में उस संविदाकारी पक्ष के प्राधिकारियों जारा निश्चित की गयी सीमाओं के अंतर्गत विमान पर ले जाई गई विमान सामग्री, जिसका कि दूसरे संविदाकारी पक्ष के अन्तरराष्ट्रीय सेवा पर नियोजित बर्हिंगांमी वायुयान पर प्रयोग किया जाना हो ;
  - हैंख है दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रविष्ट किए गए फालत पुर्जे, जो दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी द्वारा अन्तरराष्ट्रीय सेवाओं पर नियोजित विमान के संधारण अथवा मरममत के लिए हों :
    - शृंग है दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित जिमान कम्पनी द्वारा अन्तरराष्ट्रीय सेवाओं पर परिचालित बहिगांमी वायुयान को दिए जाने वाले ईंधन तथा स्नेहक, चाहे इनका प्रयोग दुइान के उस भाग पर ही किया जाना हो जो उस संविदाकारी पक्ष के भू-भाग के उसर से किया जायेगा जहां से कि ये विमान पर लिए गये।

उपर्युक्त उप-वैरा कि है, हुंख है और हुंग है में विनिर्दिष्ट सामग्री को सीमा-शुक्क प्राधिकारियों की निगरानी अथवा नियंत्रण में रखे जाने को कहा जा सकता है।

दोनों में से किसी भी सिवदाकारी पक्ष के विमान पर रखे गए नियमित उझानगत उपस्कर एवं सामग्री और भण्डार को दूसरे सिवदाकारी पक्ष के भू-भाग में उस भू-भाग के सीमा-शुल्क अधिकारियों की अनुमति से ही उतारा जा सकेगा। ऐसे मामले में, उन्हें उनका पुनर्निर्यात किए जाने तक अथवा सीमा-शुल्क विनियमों के अनुसार उनका अन्यथा निषटान किए जाने तक उन प्राधिकारियों की ही निगरानी में रखा जाएगा।

## अनु च्छेद 6-

- । प्रत्येक सीवदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी को दोनों सीवदाकारी पक्षों के भू-भाग के बीच अन्तरराष्ट्रीय यातायात के परिचालन के लिए सब प्रकार के उचित और समान अधिकार प्राप्त होंगे।
- 2. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी की सम्मत विमान सेवाओं के परिचालन में दूसरे पक्ष की नामित विमान कम्पनी के हितों को ध्यान में रखा जाएगा ताकि दूसरा पक्ष उसी मार्ग पर जो सेवाएं सुलभ कराता है उन पर कोई अनुचित प्रभाव न पड़ा
- वहन क्षमता, परिचालित सेवाओं की संख्या और विमान सेवा का स्वरूप, अर्थात वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग से गुजरने वाली है अथवा वहां समाप्त होने वाली है इत्यादि बातों पर सहमति इस अनुक्छेद में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार होवेगी।
- 4. किसी भी सेंविदाकारी पढ़ की नामित विमान कम्पनी द्वारा प्रदान की जाने वाली दामता तथा/अथवा सेवाओं की संख्या में कोई भी वृद्धि सेंविदाकारी पढ़ों के भू-भागों के बीच यातायात की अनुमानित अपेक्षाओं तथा संयुक्त रूप से सम्मत एवं सुनिश्चित किए जाने वाले किसी भी अन्य यातायात के अधार पर की जाएगी। ऐसा करार अथवा समझौता होने तक पहले से लागू क्षमता तथा सेवाओं की संख्या के अधिकार ही लागू होंगे।

- उ- यदि किसी विषय पर संविदाकारी पक्षों की नामित विमान कम्पनियां सहमत न हो पाएं तो संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी उस विषय में सहमत होने का प्रयास करेंगे।
- इस अनु छोद के पैरा 3 तथा 4 की शर्तों के अंतर्गत सहमत प्रकार से प्रदान की गयी बमता तथा परिचालित की जाने वाली सेवाओं की संख्या का पत्रों के आदान-प्रदान में स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

# अनुच्छेद 7

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपनी नामित विमान कम्पनी से दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों को विमान सेवा के प्रकार, उपयोग किये जाने वाले वायुयान के प्रकार, उड़ानों की अनुसूचियों, टैरिफ अनुसूचियों और सम्मत सेवाओं के परिचालन से संबंधित अन्य सभी संगत सूचनाओं को, जिनमें ऐसी सभी सूचनाएं शामिल होंगी जो वैमानिक प्राधिकारियों को इस बात की तसल्ली कराने के लिए आवश्यक हों कि प्रस्तुत करार की शर्तों का आवश्यक पालन हो रहा है, सम्मत सेवाओं के शुरू करने से पहले जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भिजवायेगा। सम्मत सेवाओं से संबंधित किसी भी परिवर्तन पर इस अनु छेद की शर्ते इसी प्रकार लागू होंगी।

# अनु च्छेद 8

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारी अपनी नामित विमान कम्पनी से दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों को अपनी विमान सेवाओं बारा प्रत्येक मास में दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग को या भू-भाग से ने जाए गए यातायात संबंधी आंकड़े भिजवाएंगे जिनमें रवाना होने और पहुंचने के देशों तथा रेसे यातायात के चढ़ने और उत्तरने के स्थानों से संबंधित आंकड़े रहेंगे। ऐसे आंकड़े मांग किए जाने पर शीझातिशीझ भेज दिए जाएंगे।

# अनु च्छेद १

- उत्तरवर्ती देराग्राफों के प्रयोजन के लिए "टैरिफ" शब्द का आशय यात्रियों तथा सामान के वहन के लिए देय मूल्यों तथा उन शर्तों से है जिनके अंतर्गत वे मूल्य लागू होते हैं जिनमें अभिकरण तथा अन्य सहायक सेवाओं के लिये मूल्य तथा शर्ते सिम्मिलत हैं परन्तु डाक के वहन के लिए पारिश्रमिक तथा शर्ते सिम्मिलत नहीं हैं।
- 2. एक संविदाकारी पक्ष की विमान कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग तक अथवा वहां से वहन के लिए चार्ज किए जाने वाले टैरिफ उचित स्तर पर निश्चित किए जाएंगे और इसके लिए परिचालन के व्यय, उचित लाभ तथा अन्य विमान कम्पनियों के टैरिफों सहित सभी सम्बद्ध तथ्यों का यथोचित ध्यान रखा जाएगा।
- उ॰ इस अनुकोद के पैरा 2 में निर्दिष्ट टैरिफों पर, यदि संभव हो, पूरे
  मार्ग पर अथवा उसके एक भाग पर परिचालन करने वाली अन्य विमान कम्पनियों के
  साथ परामर्श करके दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित विमान कम्पनियों द्वारा एक
  समझौता किया जाएगा, और ऐसा समझौता, जहां कहीं संभव हो, टैरिफों का
  पता लगाने हेतु अन्तरराष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन की प्रक्रियाओं का प्रयोग करके
  किया जाएगा।
- 4. इस प्रकार से सम्मत टैरिफों को जिस तारी खें से लागू करना हो उससे कम से कम साठ 860 हिन पहले उन्हें दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाना चाहिए। यदि वैमानिक प्राधिकारी सहमत हों तो यह अविधि विशेष मामलों में घटाई भी जा सकती है।
- रेसी सहमित तुरन्त दी जानी चाहिए। यदि किसी भी वैमानिक प्राधिकारी ने, इस अनुच्छेद के पैरा 4 के अनुसार, टैरिफों के प्रस्तुत किये जाने की तारी से तीस §30 है दिन के अन्दर-अन्दर अपनी अस्वीकृति व्यक्त नहीं की, तो इन टैरिफों को स्वीकृत हुआ समझ लिया जाएगा। यदि टैरिफ प्रस्तुत किये जाने की अविध को घटाया जाता है, जैसे कि पैरा 4 में व्यवस्था है, तो वैमानिक प्राधिकारी इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि वह अविध, जिसके कि अन्दर-अन्दर अपनी अस्वीकृति की सूचना अवश्य दें दी जानी चाहिए, तीस §30 हिन से कम होगी।

- 4. यदि कोई टैरिफ इस अनुस्केद के पैरा 3 के अनुसार तय न हो सके, अथवा इस अनुस्केद के पैरा 5 के अनुसार लागू होने वाली अविध के दौरान यदि एक वैमानिक प्राधिकारी को इस अनुस्केद के पैरा 3 के उपबन्धों के अनुसार सहमत टैरिफ के बारे में अपनी अस्वीकृति की सूचना दे देता है तो दोनों सविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी परस्पर सहमति द्वारा टैरिफ निर्धारित करने का प्रयत्न करेंगे।
- यदि वैमानिक प्राधिकारी इस अनुस्थेद के पैरा 4 के अधीन अपने सम्मुख रखे गए किसी टैरिफ का अनुमोदन करने में अथवा इस अनुस्थेद के पैरा 6 के अधीन कोई टैरिफ निश्चित करने में सहमत न हो सकें तो विवाद का फैसला करार के अनुस्थेद 12 के उपजन्धों के अनुसार किया जाएगा।
- हस अनु छेद के उपबन्धों के अनुसार निश्चित किया गया टैरिफ तब तक लग्ना रहेगा जब तक कि कोई नया टैरिफ निश्चित नहीं कर लिया जाता। तथापि, किसी टैरिफ को इस पैरे के बल पर उस तारीख के बाद बारह \$12\$ महीने से अधिक तक जारी नहीं रखा जा सकेगा जिस तारीख को उसे अन्यथा समाप्त हो जाना चाहिए।

# अनुच्छेद 10

- प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी को यह अधिकार देगा कि वह पहले संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में अर्जित राशि में से खर्च के बाद बची हुई राशि को अपने मुख्य कार्यालय को भेज सके। किन्तु इस तरह के प्रेषण उस संविदाकारी पक्ष के विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुसार किए जाएंगे जिसके भू-भाग में वह आय हुई हैं। ऐसे अन्तरण वर्तमान भुगतान की सरकारी विनियय दरों के आधार पर लागू होंगे अथवा जहां कोई सरकारी विनियय दर नहीं है, वहां ये चालू भुगतान की वर्तमान विदेशी मुद्रा विषणन दरों पर लागू होंगे।
- 2. यदि दोनों सैविदाकारी पक्षों के बीच भुगतानों के निपटार की कोई विशेष व्यवस्था लागू हो तो इस क्रार के पैरा है। है के अन्तर्गत निधियों के अन्तरण पर इसी व्यवस्था के उपलब्ध लागू होंगे।

# अनु ब्छेद 📋 ।

ा• परस्पर धनिष्ट सहयोग की भावना से, दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी प्रस्तुत करार तथा इसके अनुबन्ध के उपबन्धों के प्रवर्तन तथा अर्थ-निर्वचन के संबंध में नियमित रूप से विचारों को आदान-प्रदान करते रहेंगे।

2• दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष वर्तमान करार में कोई संशोधन करवाने के उद्देश्य से विचार-विमर्श को अनुरोध कर सकता है। यदि दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष यह समझे कि उपर पैरा । के आशय के अनुसार विचार-विनम्य में सफलता नहीं मिली तो वर्तमान करार के अर्थ- निर्वचन तथा उसे लागू करने से संबंधित मामलों पर भी विचार-विमर्श के लिए अनुरोध किया जा सकता है। इस प्रकार का विचार-विमर्श अनुरोध की तारीख से साठ दिन के भीतर आरम्भ कर दिया जायेगा। इस प्रकार के विचार-विमर्श के परिष्णामस्वरूप प्रस्तुत करार में किया गया संशोधन तभी प्रभावी होगा जबकि आवश्यक संगत साँविधानिक कार्रवाईयां पूरी हो जाएं और जब पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा इसकी पुष्टि कर दी जाए।

# अनु च्छेद ा 2

यदि प्रस्तुत करार के अर्थ-निर्वचन अथवा लागू किये जाने के संबंध में कोई भी विवाद हो तो पहले दोनों सैविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी परस्पर वार्ता झारा उसका फैसला करने का प्रयत्न करेंगे जिसके असफल होने पर विवाद को फैसले के लिए दोनों सैविदाकारी पक्षों के सुपूर्व किया जाएगा।

# अनु छेद- । 3

1. अभिसमय के उपबन्ध, जाहां तक कि वे प्रस्तुत करार के अन्तर्गत स्थापित की गई विमान सेवाओं के बारे में लागू होते हैं, अपने वर्तमान रूप में सिवदाकारी पक्षों के बीच करार की अविध में करार के अभिन्न अंग के रूप में तब तक लागू रहेंगे जब तक कि दोनों सिवदाकारी पक्ष अभिसमय के किसी ऐसे संशोधन का अनुसमर्थन न कर दें जो विधिवत लागू कर दिया गया हो और तब ऐसी स्थिति में अभिसमय अपने संशोधित रूप में प्रस्तुत करार की अविध में लागू रहेगा।

- 2. तंजानिया संयुक्त गणराज्य की सरकार द्वारा 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागों में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किए गए अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा द्वांजिट करार का अनुपालन किए जाने तक, इसके उपबंध संविदाकारी पक्षों के बीच उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि तंजानिया संयुक्त गणराज्य की सरकार ने अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा द्रांजिट करार का अनुपालन कर लिया है।
- उ॰ इस करार में संशोधन किसी भी ऐसे बहुपक्षीय करार के अनुरूप किया जाएगा जो दोनों संविदाकारी पक्षों पर अनिवार्य रूप से लागू हो।
- 4. इस करार तथा इसके पश्चात्वर्ती संशोधनों को अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के पास पंजीकृत कराया जाएगा।

# अनुच्छेद ।4

प्रस्तुत करार का अनुबन्ध करार का ही अंग माना जाएगा और सिवाय उस स्थिति के जिसमें अन्यथा स्पष्टतः उपबंधित कर लिया गया हो करार के संबंधा में जो भी उल्लेख किए जाएंगे उनमें अनुबन्ध का उल्लेख भी सिम्मलित होगा।

- 2. प्रस्तुत करार का सत्यांकन किया जाएगा और सत्यांकन पत्रों का आदान-प्रदान यथा-शीष्ठ किया जाएगा।
- 3. प्रस्तुत करार सत्यांकन-पत्रों के आदान-प्रदान की तारीख से लागू होगा।

# अनु छेद । 5

कोई भी सैविदाकारी पक्ष दूसरे सैविदाकारी पक्ष को किसी भी समय यह लिखित नोटिस दे सकता है कि वह वर्तमान करार को समाप्त करना चाहता है। इस प्रकार का नोटिस साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन सँगठन को भी भेजा जायंगा। यदि इस प्रकार का नोटिस दिया जाए तो करार को समाप्त करने का नोटिस जिस तारीख को दूसरे सैविदाकारी पक्ष को प्राप्त हो, उसके बारह महीने बाद वर्तमान करार समाप्त हो जाएगा। यदि इस अविध के समाप्त होने से पहले ही परस्पर सहमति से नोटिस वापस ले लिया जाए, तो यह करार समाप्त नहीं होगा। यदि दूसरे सैविदाकारी पक्ष से प्राप्त सूचना न मिले, तो अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को यह नोटिस मिलने के चौदह दिनों बाद वह उस पक्ष को भी मिल गया मान लिया जायेगा।

आज दिनांक 29 सितम्बर, 1982 को दार-अस-सलाम में चार मूल प्रतियों पर, जिनमें हिन्दी तथा अंग्रेज़ी भाषाओं में से प्रत्येक की दो-दो प्रतियां हैं और जो सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं, हस्ताबर किए गए। यदि अर्थ-निर्वचन के संबंध में कोई मतभेद हो तो अंग्रेज़ी पाठ ही प्रभावी माना जाएगा।

क्ते भारत सरकार

क्ते तजानिया संयुक्त गणराज्य की सरका

हुपीत मोहन सिंह मिलक है तंजानिया संयुक्त गणराज्य में भारतीय उच्चायुक्त  -: 13 :-

अनुब न्ध

छण्ड-।

भारत सरकार द्वारा नामित विमान कम्पनी को इस खण्ड में विनिर्दिष्ट मार्गो पर दोनों दिशाओं में सम्मत सेवाएं परिचालित करने और तज़ानिया संयुक्त गणराज्य के भू-भाग में इस खण्ड में निर्दिष्ट स्थानों पर योतायात के प्रयोजनों के लिए उत्तरने का अधिकार प्राप्त होगा।

उद्गम स्थान मध्यवर्ती स्थान तंजानिया संयुक्त आगे के स्थान गणराज्य का स्थान भारत के स्थान कोई नहीं दास-अस-सलाम कोई नहीं

खण्ड −∏

तंजानिया संयुक्त गणराज्य की सरकार द्वारा नामित विमान कम्पनी को इस खण्ड में विनिर्दिष्ट मागों पर दोनों दिशाओं में सम्मत सेवाएं परिचालित करने और भारत के भू-भाग में इस खण्ड में विनिर्दिष्ट स्थानों पर यातायात के प्रयोजनों के लिए उत्तरने का अधिकार प्राप्त होगा।

उद्गम स्थान मध्यवर्ती स्थान भारत का स्थान आगे के स्थान तंजानिया के कोई नहीं बम्बई कोई नहीं स्थान